



Neutral Citation No.-2026:AHC:10041

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-36902 वर्ष 2025

नाजिम आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद हादी जैदी, जिया नाज जैदी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री मोहम्मद हादी जैदी और राज्य विधि अधिकारी श्री जय किशन चौरसिया को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक ने 2024 के अपराध संख्या-0028 में भ०द०वि० की धारा 302, 201, 120-बी, 34 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान थाना-परतापुर, जिला: मेरठ में जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक को केवल संदेह के आधार पर प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।
5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि मृतक की मृत्यु शव परीक्षण परीक्षा से लगभग 5-8 दिन पहले हुई थी, इसलिए मृत्यु के कारण का पता नहीं लगाया जा सका। अभिलेखों पर ऐसा कोई सामग्री नहीं है जिससे यह पता चले कि आवेदक ने उक्त अपराध करने के लिए कोई साजिश रची थी।
6. अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि मुकदमा घोंघे की गति से आगे बढ़ रहा है क्योंकि अ०सा०-1 की मुख्य परीक्षा का केवल एक हिस्सा दर्ज किया गया है। निकट भविष्य में परीक्षण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है। आवेदक 22.01.2024 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. ततस्य विपरीत, राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों और इस तथ्य पर भी विवाद करने में असमर्थ है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

8. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 06.11.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आज तक किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि अभिलेखों पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि आवेदक ने या तो कोई साजिश रची है या उक्त अपराध को अंजाम देने में शामिल है, इस तथ्य के साथ कि आवेदक 22.1.2024 से जेल में है और स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 06.11.2025 तक किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की गई है, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला लगता है। जमानत आवेदन की अनुमति है।

10. आवेदक- नाजिम, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 14, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)